



अंत्योदय सरल



हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

शिल्पी समृद्धि योजना (ऋण उन अनुसूचित जाति के कारीगर को दिये जाने जिनके प्रमाण पत्र विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), टैक्सटार्इल मंत्रालय, भारत सरकार का राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हैं)

पात्रता :

1. भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निगम केवल उन अनुसूचित जातियों के परिवारों को ऋण प्रदान करता है जिनके परिवार की वार्षिक आय 3.00 लाख रू0 से अधिक न हो ।
2. अनुसूचित जाति
3. प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी हो ।
4. आवेदक 18-45 वर्ष के आयु वर्ग का हो ।
5. आवेदक ने निगम से पहले लिये गये ऋण का दुरुपयोग न किया हो ।
6. आवेदक किसी भी अन्य समान इकाई का मालिक न हो ।
7. आवेदक निगम/बैंक का दोषी न हो ।
8. आवेदक को अपनाई जाने वाली स्कीम का पर्याप्त ज्ञान एवं अनुभव हो ।

लाभ

1. एन0एस0एफ0डी0सी0 के सहयोग से निगम विभिन्न आर्थिक विकास योजनाओं के लिये ऋण प्रदान करता है. जिसमें इकाई लागत 50.000 /- रू0 तक हो सकती है ।



अंत्योदय सरल



2. निगम योजना लागत का 10 प्रतिशत सीमान्त धन (मार्जन मनी) प्रदान करता है ।
3. भारत सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार, निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध करता है । अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000 /-रूपये है ।

आवश्यक दस्तावेज़

1. पहचान/नागरिकता पहचान (निम्नलिखित में से कोई भी एक)
आधार कार्ड
2. निवास प्रमाण
राशन कार्ड
3. जाति प्रमाण पत्र
अनुसूचित जाति

सेवा के लिए फीसें

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केंद्र सेवा प्रभार
कोई खर्च नहीं	10 /- रू0	कोई खर्च नहीं

सेवा का अधिकार समय सीमा: सेवा का अधिकार के तहत नहीं है ।